नियंत्रण प्रबंधों का जायजा

भिवानी। उपायुक्त अजय कुमार ने शुक्रवार को सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों का जायजा लिया। उपायुक्त ने धनाना-सामाण लिंक ड्रेन, 1-एल, खरक और कलिंगा ड्रेन पर जाकर किया निरीक्षण किया। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान एसीयूटी सचिन गुप्ता आईएएस भी साथ रहे। उपायुक्त अजय कुमार सिंचाई व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सबसे पहले 1-एल जताई ड्रेन पर पहुंचे और ड्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस ड्रेन को मुंढ़ाल की तरफ नौ एकड़ तक बढाया जाएगा, इससे विस्तार के बाद यहां पर करीब 100 से 125 एकड़ खेती भूमि पर पानी के ठहराव से किसानों को निजात मिलेगी। इस पर करीब 70 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके पश्चात उपायुक्त ने गांव जताई में धनाना-समैण लिंक ड्रेन का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने किसानों से यहां पर पानी के ठहराव होने के बारे में जानकारी ली। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर ड्रेन की मिट्टी दोनों से फिसलने पर ड्रेन का बैड उपर हो जाता है,जिससे ड्रेन ओवर फ्लो हो जाती है।

है।

महंगाई की दर के अनुपात के हिसाब से इस पेंशन में अगर वृद्धि की जाती है तो वह केवल 160 रुपए

शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान जैसे ही बढ़ी हुई पेंशन का ऐलान किया, समूचे प्रदेश में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

द आरसीएस पीबी इंप्लॉयज को-ऑप्रेटिव हाउस बिल्डिंग (फर्स्ट) सोसायटी
प्लाट नं.15, सेक्टर 49-ए, चंडीगढ़

सार्वजनिक सूचना

आम जनता एवं सभी संबंधित की जानकारी हेतु एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक/कानूनी उत्तराधिकारी (पत्नी) ने वित्त विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.11.2018 के अनुसार सोसायटी के प्रशासक से उप लीज डीड के निष्पादन/सदस्य के नामांकन हेतु फ्लैट/ हिस्से के हस्तांतरण/अनुमति/एनओसी जारी करने हेतु आवेदन किया है:-

मूल आवंटी/ का नाम	आवेदक का नाम	फ्लैट सं.	श्रेणी/ फ्लोर
श्री बंसी लाल पुत्र श्री जीवन दास	श्रीमती सुनीता सांगर पत्नी स्व. श्री रवि दत्त	817-सी पहली मंजिल	सी, पहली

टिप्पणियां: बिक्री अनुबंध दिनांक 29.01.1998 श्री बंसी लाल पुत्र श्री जीवन दास एवं श्री रवि दत्त शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा के बीच है। दिनांक 05.09.2019 को श्री रवि दत्त शर्मा की मृत्यु पर, उसकी पत्नी श्रीमती सुनीता सांगर ने अपने पक्ष में फ्लैट के हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

यदि किसी व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को आवेदक के पक्ष में सोसायटी के उक्त निर्दिष्ट फ्लैट्स में शीर्षक, अधिकार अथवा रुचि के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को समर्थक दस्तावेजों के साथ लिखित में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें असफल होने पर उक्त कथित फ्लैट का स्वामित्व आवेदक के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बाद में किसी स्तर पर कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।

प्रशासक

एक्सिस बैंक लि.

स्ट्रक्चर्ड असेट्स ग्रुप प्लाट सं. : I-14, टावर 1, 4वीं मंजिल, सेक्टर-128, नोयडा (यू.पी.)-201304

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के साथ पढ़े गए प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (4) के अधीन ई-नीलामी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्ननिर्दिष्ट अचल संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **''जैसा है जहां है''** एवं **''जो है जैसा है''** एवं **''जैसा है जहां है''** आधार पर इस सूचना में वर्णित तिथि एवं समय पर ई-नीलामी आयोजन/जनता आमंत्रण द्वारा बेची जाएगी। इच्छुक बोलीदाता बिक्री की आगामी विस्तृत नियम/शर्तों, यदि वांछित हों, हेतु प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

ऋणी/गारंटर का नाम	मॉर्टगेजर का नाम	संपत्ति का विवरण	सिक्योर्ड ऋण	आरक्षित कीमत	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1. **नीरज कॉटन फैक्ट्री (ऋणी एवं हाईपोथिकेटर)**, 7वां केएम. अगरोहा रोड, आदमपुर- 125052, हिसार, **पर भी:** दुकान नं. 58, अनाज मंडी, आदमपुर, हरियाणा-125052 2. **सुलोचना देवी** (पार्टनर, जमानत एवं बंधक) मकान नं. 67, न्यू ग्रेन माक्रेट, मंडी आदमपुर, हिसार 125052, 3. **प्रहलाद राय गोयल (पार्टनर एवं गारंटर)** मकान नं. 293, मॉडल टाउन, मंडी आदमपुर, हिसार, 4. **कार्तिक गोयल** (पार्टनर एवं गारंटर) मकान नं. 67, न्यू ग्रेन मार्किट मंडी, आदमपुर, हिसार- 125052, 5. **मोनिका गोयल (पार्टनर एवं गारंटर)** मकान नं. 67, न्यू ग्रेन मार्केट, मंडी आदमपुर, हिसार- 125052	**सुलोचना देवी**	1. सेल डीड नं. 6500, तिथि 25.03.2011 एस.आर. आदमपुर के तहत सुलोचना देवी के नाम में मौजा कालीरवान, तहसील आदमपुर, जिला हिसार में स्थित खेवट सं. 1322, खतौनी सं. 1809 एवं 1811 एवं खसरा नं. 244//19/2/3 (3-4) 22/1/1(1-18) 12/1 (3-12) 19/1/3 (0-8) में शामिल भूमि माप 9के-02एम पर निर्मित फैक्ट्री भवन को शामिल संपत्ति के सभी भाग एवं पार्सल ।	**रुपए 5,15,39,072.14** (रुपए पांच करोड़ पंद्राह लाख उन्तालीस हजार बहत्तर एवं चौदाह पैसे केवल) 30.09.2027 से (30.09.2017 तक लागू ब्याज सहित) साथ में भुगतान की तिथि तक उसपर ब्याज एवं अन्य चार्जिज सहित	**1. रु. 60.00 लाख**	**10.02.2020 को प्रातः 11.00 बजे से दोप. 12.00 बजे के मध्य**
				1. ईएमडी : रु. 6.00 लाख	**ईएमडी प्रस्तुतीकरण की तिथि 07.02.2020 को सायं 5.00 बजे**
		2. बिक्री विलेख सं. 528, दिनांक 23.05.2002, तथा सप्लीमेंटरी कन्वेयंस डीड नं. 1773, दिनांक 11.11.2003, एस.आर. आदमपुर द्वारा सुलोचना देवी के नाम में, आवासीय क्षेत्र-III, अब मॉडल टाऊन मंडी आदमपुर, जिला हिसार के नाम से जानी जाती में स्थित आर-293, माप 48'* 100' (533.33 वर्ग गज) पर निर्मित रिहायशी मकान।		**2. रु. 1.35 करोड़**	**10.02.2020 को दोप. 1.00 बजे से दोप. 2.00 बजे के मध्य**
				2. ईएमडी: रु. 13.50 लाख	**ईएमडी प्रस्तुतीकरण की तिथि 07.02.2020 को सायं 5.00 बजे**

टिप्पणी :-ऋणी/गारंटर/मोर्टगेजर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आगामी ब्याज एवं अन्य प्रभारों के साथ कुल बकाया देय राशि की अदायगी करने हेतु 30 दिनों की सूचना प्रदान की जाती है, जिसमें असफल होने पर संपत्ति इस सूचना में वर्णित अनुसूची अनुसार बेची जाएगी।

किसी पूछताछ हेतु संपर्क संख्या 0120-6210811,9990799379, recoverycell.north@axisbank.com, pankaj.sachar@axisbank.com

नियम एवं शर्तें :- 1. संपत्ति बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन बैंक के अनुमोदित सेवाप्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजिज लि. (ऑक्शन टाईगर) के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी। 2. नीलामी बिक्री/बोली संपत्ति सं.1 हेतु **10.02.2020 को** प्रातः **11.00 बजे से दोप.** 12.00 **बजे** तथा संपत्ति सं.2 हेतु **दोप. 1.00 बजे से दोप. 2.00 बजे के मध्य** ऑक्शन टाईगर मोबाईल ऐप पर तथा वेबसाईट **https://axisbank.auctiontiger.net** के माध्यम से केवल **''ऑनलाईन विद्युत बोली''** प्रक्रिया के माध्यम से 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तारों के साथ आयोजित की जाएगी। 3. ईएमडी **(अधिसूचित आरक्षित कीमत की 10%)** नोयडा अथवा हिसार स्थित देय एक्सिस बैंक लिमिटेड के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अदायगी की जानी है। ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज की बोली प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम **तिथि : 07.02.2020 को सायं 5.00 बजे तक।** बोलीदाता का पूर्ण नाम, पता एवं संपर्क संख्या एवं ई-मेल आईडी डिमांड ड्राफ्ट (ईएमडी के पीछे वर्णित किया जाए) 4. बोलीदाता का विवरण **(केवाईसी दस्तावेज अर्थात फोटो आईडी प्रमाण, पैन कार्ड एवं पता प्रमाण एवं ई-मेल आईडी)** एक मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाए तथा ईएमडी बैंक कार्यालय पता - **(1) स्ट्रेस्ड परिसंपत्ति ग्रुप, एक्सिस हाऊस-प्लाट संख्या I-14, टावर 1, 4वीं मंजिल, सेक्टर-128, नोयडा-201304 अथवा (2) एक्सिस बैंक लि. सीसीएसयू : एससीओ 177, सीयूई-1, हिसार** में प्रस्तुत की जाए। 5. ई-नीलामी कुछ नियम एवं शर्तों का विषय होगी, जो एक्सिस बैंक (संख्या 1) के उक्त वर्णित पते से प्राप्त की जा सकती है तथा बोली प्रपत्र का प्रस्तुतीकरण बिना शर्तों के विषय पर उन नियम एवं शर्तों से किया जाएगा। 6. नीलामी उक्त वर्णित अनुसार आरक्षित कीमत पर प्रारंभ की जाएगी। बोलीदाता **रु. 1.00 लाख** के गुणज में अपने प्रस्ताव सुधार सकते हैं। 7. इच्छुक बोलीदाता वैध ई-मेल आईडी धारक हो तथा पोर्टल **https://axisbank.auctiontiger.net** पर पंजीकृत हों/ऑक्सन टाईगर मोबाईल ऐप पर भी तथा मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजिज लि. (ईटीएल) से निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करेंगे, जिससे उसे ऑनलाईन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी। 8. भावी बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजिज लि. (ऑक्शन टाईगर) अहमदाबाद संपर्क व्यक्ति टोल फ्री संख्या **18001035342 श्री राम प्रसाद शर्मा 08000023279 एवं श्री रिकिन ब्रह्मक्षत्रिय 0-9978591888 ई-मेल आईडी ramprasad@auctiontiger.net,rikin@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net,** लैंडलाईन संख्या 079-40270596/079-40270538, **फैक्स संख्या** 079-40016876 से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 9. ईएमडी राशि उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में समायोजित की जाएगी, अन्यथा असफल बोलीदाता की बिक्री के निर्धारण के 2 कार्यदिवसों के भीतर बोली आवेदन में वर्णित पते पर वापस की जाएगी (अथवा बैंक कार्यालय से व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त की जा सकती है।) ईएमडी पर ब्याज की अदायगी नहीं की जाएगी। 10. इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व आपसी सहमति के साथ स्थल पर संपत्तियों का निरीक्षण कर सकती हैं। 11. उच्चतम/सफल बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकृति के पश्चात तत्काल **(48 घंटों के भीतर)** जमा धरोहर राशि समायोजन के पश्चात बिक्री कीमत की 25% राशि जमा करेगा, जिसमें असफल होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उच्चतम बोलीदाता संपत्ति के खरीददार को घोषित किया जाएगा, जो कानूनी तौर पर बोली में सफल होगा। बिक्री राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर खरीददार द्वारा अदायगी की जाएगी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय पर एकल अथवा लिखित में सहमति अनुसार बढ़ाई गई अवधि के भीतर जमा की जाएगी, जिसमें असफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। 12. कन्वेयंस, स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार तथा लागू अनुसार सभी करों आदि हेतु सभी प्रभार केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। 13. यह सूचना उक्त संपत्तियों की बिक्री से बैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व गठित करने से नहीं समझी जाएगी। बैंक/प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिक्री निरस्त करने का अधिकार रखते हैं, जो भी उचित समझें अथवा बिना कोई कारण बताए तथा निरस्तीकरण बोलीदाता द्वारा प्रश्न नहीं किया जाएगा। 14. यह प्रकाशन अग्रिम में उक्त ऋणी/गारंटरों/मोर्टगेजरों से तीस दिनों की सूचना भी है। 15. इच्छुक पार्टियां कृपया किसी कार्यदिवस पर बैंक के (संख्या 1) पते पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क करें। 16. बिक्री विचारणीय से अतिरिक्त में, यह सभी लागू प्रभार, लेबीज एवं ड्यूटी हेतु अदायगी का सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी तथा बैंक इस हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। 17. एक्सिस बैंक लि. बिना कोई कारण बताए किसी समय पर नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 18. नीलामी में भाग लेने/प्रस्तुतीकरण बैंक की कुछ **''नियम एवं शर्तों''** का विषय होगा। बैंक जो संबंधित बैंक के (संख्या 1) पते से प्राप्त करें। 19. भार, यदि कोई बैंक के ऋण के अलावा हो, वह बैंक को ज्ञात नहीं है। विशेष निर्देश एवं चेतावनीः बोलीदाता द्वारा उनके अपने हित में अंतिम समय/क्षणों में बोली से बचा जाए अन्यथा एक्सिस बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी लैप्स/असफलता (इंटरनेट असफलता, पावर फेलियर आदि) इस प्रकार के मामले में वेंडर की ओर से जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी आवंछनीय से बचने के कम में, बोलीदाता को सभी वांछित प्रबंध/विकल्प करने का निवेदन किया जाता है कि जिससे वह सफलतापूर्वक नीलामी में भाग लेने हेतु सभी परिस्थितियों में सक्षम हों।

टिप्पणी : प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिक्री/नीलामी निरस्त अथवा स्थगित करने अथवा किसी बोली अथवा बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

दिनांक : 03.01.2020 | **स्थान : आदमपुर, हिसार** | **प्राधिकृत अधिकारी (एक्सिस बैंक लि.)**

Hind Janpath 04.01.2020